न्यायालय श्रीमान्‌सदस्य राजस्व मंडल ग्वालियर म0 प्र0

==

निगरानी प्र0 क्र0 निगरानी-3404/2018/छतरपुर/भू.रा. सन् 2018

उमादत्त कौशिक तनय स्व0 श्री मदन मोहन कौशिक

निवासी ग्राम महेबा तह0 व जिला छतरपुर म0प्र0 -- निगरानीकर्ता

बनाम

श्री रामदत्त कौशिक तनय स्व0 श्री मदन मोहन कौशिक

निवासी ग्राम महेबा तह0 व जिला छतरपुर म0 प्र0 -- गैर निगरानीकर्ता

श्री मुकेश भार्गव काशि द्वारा आज दि. 1-6-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 20-6-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 1-6-18

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0 रा0 सं0

निगरानी अपर आयुक्त के अपील क्रमांक 424/अ-27/2011-12 मे पारित आदेश दिनांक 10/4/18 के विरूद्ध

==

मुकेश भार्गव
1-6-18 एडवोकेट
ग्वालियर

महोदय,

निगरानीकर्ता निम्न लिखित कारणों पर यह निगरानी प्रस्तुत कर निवेदित है कि :-

1, यह कि निगरानीकर्ता के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के समक्ष तहसीलदार महेबा के प्रकरण क्रमांक 28अ-27/07/08 पंजीबद्ध किया जाकर नियम एवं विधि विरूद्ध तरीके से दिनांक 8/10/2010 जैसा आवेदन के द्वारा बटवारा फर्द बनाकर दी गई उसी को अन्तिम आदेश पारित कर दिया गया नायब तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई जो अपील क्रमांक 46अ-27/10-11 पर पंजीबद्ध की जाकर दिनांक 27/4/11 को निरस्त कर दी गई उक्त आदेश के विरूद्ध अपील अपर आयुक्त सागर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो अपील 425/अ-27/2011-12 पर पंजीबद्ध की जाकर काल्पनिक आदेश दिनांक 30/8/2013 को आदेश पारित करते हुये अपील निरस्त कर दी गई उक्त आदेश के विरूद्ध निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई जो निगरानी क्रमांक 350/3/2013 पर पंजीबद्ध की जाकर दिनांक 10/12/15को इस आदेश के साथ अपर आयुक्त सागर के पूर्व आदेश

(2)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

उमादत्त विरूद्ध रामदत्त

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3404/2018/छतरपुर/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-06-2018	आवेदक की ओर से श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक उपस्थित । उनके द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10-04-2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा राजस्व मंडल के निर्देसानुसार प्रकरण का अवलोकन कर स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि नायब तहसीलदार द्वारा सभी पक्षों की साक्ष्य एवं सुनवाई करके स्वत्व के निराकरण का पर्याप्त अवसर प्रदान करके हिस्सा अनुसार भूमिस्वामी स्वत्व पर ½ हक में पटवारी द्वारा प्रस्तुत फर्द प्रदर्श पी-01 के आधार पर बंटवारा स्वीकृत किया है । जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है । अतः अपर आयुक्त द्वारा अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त द्वारा निकाले गये उपरोक्त निष्कर्ष विधिसंगत है । जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्ट्या आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । सदस्य 29/6	